न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—37 / 2021 दायर दिनांक:—06.08.2021

जीसीएमएस नं. 2021 / 359

1. मदनमोहन पुत्र हरिया जाति ब्राहम्ण निवासी बमनपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
2. दाखा पत्नि हरिया जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ जिला करौली

—————प्रार्थीगण—02

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ, जिला करौली राज0

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित —1.श्री शांतिलाल करसौलिया अधिवक्ता प्रार्थी

2.पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक— 23-7-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खाता संख्या 134 के खसरा न0 1742, 1745, 2460 कुल रकबा 0.68 है0 एवं खाता संख्या 135 के खसरा न0 2259 कुल रकबा 0.68 है0, खाता संख्या 136 के खसरा न0 2564 कुल रकबा .35 है0 तथा खाता सं. 137 के खसरा न0 2573 कुल रकबा 0.60 है0 तथा खाता संख्या 138 के खसरा न0 1745 / 5970, 2488, 2489, 2533, 2534 कुल रकबा 1.13 व खाता सं. 139 के खसरा न0 2581 कुल रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थीगण के पिता स्व. हरिया की मृत्यु [illegible] पूर्व हो चूकी थी, उस समय प्रार्थीगण नाबलिग छोटे छोटे थे इसलिये [illegible] पटवारी ने मदनमोहन के नाम के स्थान पर भूपेश व दाखा के स्थान पर [illegible] से रेवन्यु रिकॉर्ड में जमाबंदी में नामांतकरण तस्दीक कर दिया था जबकि प्रार्थी संख्या 1 [illegible] के समस्त पहचानपत्र, आधारकार्ड व शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में मदनमोहन व दाखा ही लिखा गया है। अब प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम की भूल को संशोधित करके पहचानपत्र, आधारकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर मदनमोहन व दाखा दुरस्त हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के नाम का भूलवश हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा भूपेश व सुशीला अंकित हो गया था, जिसके स्थान पर मदनमोहन व दाखा दुरस्त करने बाबत तहसीलदार सूरौठ को एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज दिनांक 03.11.2020 को पेश किया था, जिस पर तहसीलदार सूरौठ ने रेवन्यु रिकॉर्ड में भूलवश गलत अंकन होने को सही कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि उक्त कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में पेश होने पर भूलवश त्रुटि सही किया जा सकेगा अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी सं. 1 के नाम में भूपेश के स्थान पर मदनमोहन व प्रार्थी सं0 2 के नाम में सुशीला के स्थान पर दाखा संशोधन कर रेवन्यु रिकॉर्ड /जमाबंदी में संशोधित किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को जारी करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ, भू अभिलेख निरीक्षक जगर, पटवारी हल्का जगर बी द्वारा जबाव न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार है–

1. प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की मद सं0 02 स्वीकार नहीं है।
3. प्रार्थना पत्र की मद स0 03 स्वीकार नहीं है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जगर–बी एवं भू.अ.निरीक्षक वृत्त शेरपुर के अनुसार ग्राम बमनपुरा की वर्तमान जमाबंदी के ख0 न0 1742, 1745, 2460, 2259, 2564, 1745/5970, 2488, 2489, 2533, 2534, 2263, 2581 में प्रार्थीगण भूपेश पुत्र हरिया व सुशीला पत्नि स्व0 हरिया हिस्सा 1/6 दर्ज है। व ख0न0 2573 में प्रार्थीगण भूपेश पुत्र हरिया व सुशीला पत्नि स्व0 हरिया हिस्सा 31/100 दर्ज रिकॉर्ड है। नियमानुसार प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः उक्त दावा प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। जंबाव शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 134 के खसरा न0 1742, 1745, 2460 कुल रकबा 1.14 है0 , जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 135 के खसरा न0 2259 रकबा 0.68 है0, जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 136 के खसरा न0 2564 कुल रकबा 0.35 है0 , जमाबंदी संवत 2073–76 खाता सं. 137 के खसरा न0 2573 कुल रकबा 0.60 है0, जमाबंदी संवत 2073–[illegible] रा न0 1745/5970, 2488, 2489, 2533, 2534 कुल रकबा [illegible] है0, जमाबंदी संवत 2073–76 खाता सं. 139 के खसरा न0 2263 [illegible] जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 140 के खसरा न0 2581 रकवा 0.76 है0 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील सूरौठ, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पहचान पत्र, आधार कार्ड ढाका, पहचान पत्र ढाका, राशन कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2004, भामाशाह कार्ड एवं ग्राम पंचायत जगर का प्रमाण पत्र की प्रतियॉ पेश की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:54 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टया ही खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 134 के खसरा न0 1742, 1745, 2460 कुल रकबा 1.14 है0 , जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 135 के खसरा न0 2259 रकबा 0.68 है0, जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 136 के खसरा न0 2564 कुल रकबा 0.35 है0 , जमाबंदी संवत 2073-76 खाता सं. 137 के खसरा न0 2573 कुल रकबा 0.60 है0, जमाबंदी संवत 2073-76 खाता संख्या 138 के खसरा न0 1745/5970, 2488, 2489, 2533, 2534 कुल रकबा 1.13 है0 व जमाबंदी संवत 2073-76 खाता सं. 139 के खसरा न0 2263 कुल रकबा 0.46 है0 एवं जमाबन्दी संवत 2073-76 खाता संख्या 140 के खसरा नं0 2581 रकवा 0.76 है0 वाके ग्राम बमनपुरा तहसील सूरौठ **भूपेश पुत्र हरिया व सुशीला पत्नि स्व0 हरिया** जाति ब्राहम्ण सा. बमनपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी में प्रार्थी सं. 1 के नाम में भूपेश के स्थान पर मदनमोहन व प्रार्थी सं0 2 के नाम में सुशीला के स्थान पर दाखा संशोधन करने का उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरौठ के जबाव के अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नं0 1742, 1745, 2460 कुल रकबा 1.14 है0 , खसरा न0 2259 रकबा 0.68 है0, खसरा न0 2564 कुल रकबा 0.35 है0 , खसरा न0 2573 कुल रकबा 0.60 है0, खसरा न0 1745/5970, 2488, 2489, 2533, 2534 कुल रकबा 1.13 है0 व खसरा न0 2263 कुल रकबा 0.46 है0 एवं खसरा नं0 2581 रकवा 0.76 है0 स्थित ग्राम बमनपुरा तहसील [illegible] स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:03:54 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन